<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष</u>

<u>आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से</u>

<u>आ.अ.सं. 1003/ इंदौर /2019</u>

<u>निर्धारण वर्ष : 2009-10</u>

श्रीमती राजू बाई, बिजलपुर, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 3(2), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएक्सझेडपीबी 0992 एन		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नही (लिखित प्रतिवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	25.05.2021
उद्घघोषणा तिथि	29.06.2021

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-III, इंदौर के आदेश दिनांक 31.10.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के दौरान हमने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक

पक्षीय आदेश पारित किया था । दूसरी ओर विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेश पर निर्भरता रखी ।

3. हमने हमारे समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 29.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 29.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल